सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (Government of India : Ministry of Home Affairs)
हैदराबाद : Hyderabad– 500 052.

Inter Office Note

Subject: Notified Recruitment Rules – Regarding

A copy of notified Recruitment Rules for the following posts are enclosed herewith for uploading the same on the Academy Website under "Recruitment Rules" column please.

a. Wireless Operator
b. Junior Engineer (Electronics)
c. Senior Scientific Assistant
d. Photographic Officer
e. Painter cum Artist
f. Administrative Officer Grade-II
g. Junior Scientific Officer

24/12/20

(Dr. K P A Ilyas)
Asstt. Director (Estt)

Asstt. Director (IT)

No. 19011/1/2009/Estt/RRs/A-5 Dated: 24 .12. 2020

Internal

A1, A2, A3 and B-2 : To fill up the vacant posts as per the method of recruitment.

56171/2020/O/o AD(ESTT.)

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10122020-223628
CG-DL-W-10122020-223628

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 38] नई दिल्ली, नवम्बर 29—दिसम्बर 5, 2020, शनिवार / अग्रहायण 8 — अग्रहायण 14, 1942
No. 38] NEW DELHI, NOVEMBER 29-DECEMBER 5, 2020, SATURDAY/AGRAHAYANA 8-AGRAHAYANA 14, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 171.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में बेतार ऑपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(i) संक्षिप्त नाम–इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, बेतार ऑपरेटर भर्ती नियम, 2020 हैं।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**– पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि**–भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**–वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**–जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, आदेश द्वारा उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेतार ऑपरेटर	05*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह–ग अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 4 (25,500–81,100 रु.)	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 1** : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिकिम्म, हिमाचल प्रदेश, लाहौल और स्पीति जिला और चंबा जिले के पंगी उप खण्ड, संघराज्यक्षेत्र लद्दाख, संघराज्यक्षेत्र अंडमान एवं निकोबार

					द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2** : रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
शैक्षणिक अर्हताएं **आवश्यक :** (I) सरकारी महाविधालय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा ; या (II) किसी सरकारी संगठन या सरकारी मान्यता प्राप्त संगठन में दो वर्षीय आई टी आई (इलैक्टॉनिक या रेडियो और टीवी) के साथ एक वर्ष का शिक्षुता प्रशिक्षण ; या (III) सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त संगठन में गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र विषयों के साथ इंटरमीडियट या 12वीं कक्षा तथा बेतार ऑपरेटर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** (I) मेकैनिक–सह–ऑपरेटर इलेक्ट्रोनिक कम्यूनिकेशन सिस्टम के ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (एनटीसी) । (II) कम्प्यूटर में कार्य साधक ज्ञान के साथ अंग्रेजी टंकण में अच्छी गति।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति– (I) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस दूरसंचार या बेतार शाखा	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –** (I) उप निदेशक – अध्यक्ष	लागू नहीं होता

में सदृश पद धारण करते हो ; या (II) वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4 (रु. 25500–81100) में दो वर्षीय नियमित सेवा के साथ बेतार ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैड कांसटेबल ; या (III) वेतन मैट्रिक्स में स्तर–3 (रु. 21700–69100) में बेतार आपरेटर के रूप में कार्यरत हैड कांस्टेबल जिसने पांच वर्ष नियमित सेवा की हों । **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के किसी संगठन या विभाग में नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर नियुक्ति के लिए साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(II) उप कमांडेन्ट (बेतार) –सदस्य ; (III) प्रशासनिक अधिकारी – श्रेणी II या श्रेणी–III- सदस्य	

[फा.सं. 23011/46/2017–पीटी]

डी. के. घोष, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 2nd December, 2020

G.S.R. 171.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Wireless Operator in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Wireless Operator, Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Wireless Operator	5* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level- 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100)	Not applicable	Between 18 and 25 years. (The upper age-limit relaxable for departmental candidates upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1.** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram. Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union territory of Lakshadweep). **Note 2.** The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Education qualifications: **Essential:** (i) three years Diploma in Electronic and Communication Engineering from Government College or University or Government recognised College or University; or (ii) two years ITI (Electronics or Radio and TV) with one year apprenticeship training in any Government organisation or Government recognised organisation; or (iii) Intermediate or 12th Standard with Maths, Physics and Chemistry Subjects, with three years experience as Wireless Operator in Government or Government recognised organisation. **Desirable:-** (i) National Trade Certificate (NTC) in the trade of Mechanic-cum-operator Electronic Communication System. (ii) Working knowledge of Computer with good speed in English typing.	Not applicable	Two years for direct recruits	Deputation failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in makingrecruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: 1) holding analogous posts among Central Armed Police Forces and State Police Telecommunication or Wireless Branch; or 2) Head Constable working as Wireless Operator with two years of regular service in the level-4 of the pay matrix (Rs. 25500-81100); or 3) Constable working as Wireless Operator with five years of regular service in the level-3 of the pay matrix (Rs. 21700-69100).	**Group 'C' Department Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Deputy Director - Chairman; (2) Deputy Commandant (Wireless) – Member; (3) Administrative Officer, Grade-II or Grade III -Member.	Not applicable.

Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment for deputation or absorption shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/46/2017-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि.172.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कनिष्ठ अभियंता (इलैक्ट्रानिक्स) भर्ती नियम, 1982 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में कनिष्ठ अभियंता (इलैक्ट्रानिक्स) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .—1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कनिष्ठ अभियंता (इलैक्ट्रानिक्स) भर्ती नियम, 2020 हैं।

   2. ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति–

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।